तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एल आर / 4257 / 2006 / दौसा शिवचरण व अन्य बनाम रामदयाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म में जारी हुए
05.3.18	**एकलपीठ** **श्री धूकलराम कसवॉ सदस्य** उपस्थित श्री समीर अहमद अभिभाषक प्रार्थी श्री अजीत लोढा अभिभाषक अप्रार्थी **<u>आदेश</u>** यह निगरानी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 28—4—06 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 28—3—2013 प्रस्तुत कर कथन किया कि उप जिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा द्वारा मूल वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण खारिज योग्य है। अभिभाषक प्रार्थी ने अभिभाषक अप्रार्थी के कथन से अपनी सहमति व्यक्त की । हमने विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 28—3—2013 का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उप जिला कलेक्टर बांदीकुई द्वारा मूल वाद संख्या 15 / 2000 रामदायाल व अन्य बनाम भौरी लाल व अन्य का दिनांक 28—3—2013 को अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मूल वाद का निस्तारण हो जाने के कारण यह निगरानी निरर्थक एवं सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवॉ)** **सदस्य**	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official